रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, जनकार्ड में प्रार्थी का नाम रमेशचन्द्र पुत्र प्यारा भील नि. गोलवाड़ा दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम - शहमी के खाता संख्या 44,45 पर प्रार्थी का नाम रामु पुत्री प्यारा दर्ज है। अत: रामु उर्फ रमेशचन्द्र पुत्र प्यारा भील दर्ज किया जाना उचित है।

R.I. मावली
25/7/2024

पटवारी
पटवार मण्डल–गादोली/
तहसील–मावली, जिला–

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

महोदयजी,

निवेदन है कि भू०अ०नि० मावली एवं पटवारी हल्का - गोलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार शुद्धि की अनुशंषा की जाती है।

26/7/24

तहसीलदार (भू.अ.) मावली

प्रकरण संख्या - 78/24
निर्णय दिनांक - 29/07/2024

आदेश

प्रार्थी रमेशचन्द्र पिता प्यारा भील द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का नाम खाता सं. 44,45 मौजा शहमी पटवार हल्का गोलवाड़ा में नाबालिग रामु पुत्री प्यारा के बजाय रामु उर्फ रमेशचन्द्र पुत्र प्यारा संशोधन किया जाने का निवेदन किया। पटवारी हल्का गोलवाड़ा व तहसीलदार मावली द्वारा नाम संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की।

अत: पटवारी गोलवाड़ा एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: मौजा शहमी पटवार हल्का [illegible] की खाता सं. 44,45 में प्रार्थी का नाम नाबालिग रामु पुत्री प्यारा [illegible] बजाय रामु उर्फ रमेशचन्द्र पिता प्यारा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना [illegible] तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार [illegible] नम्बर से कम की [illegible] निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(मावली जिला उदयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज.)